


9¹⁰/₁₉

पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील वादी अनुपस्थित। न्यायालय के आदेश दिनांक 05.08.2019 की पालना में वकील वादी द्वारा आज दिनांक तक तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किए गए।

अतः न्यायालय सि. प्र. सं., 1908 के आदेश 7 नियम 9 के उल्लंघन के कारण आदेश 9 नियम 2 के तहत एवं आदेश 9 नियम 8 के तहत वाद को खारिज किए जाने का आदेश देना है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर वादतक मील दाखिल दफतर हो।


9.10.19

